


राजस्थान सरकार  
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

क्रमांक:-एफ15( )परिवीक्षा/सा0सु0/सान्याअवि/20/45986 जयपुर, दिनांक 16.09.2020

संशोधित आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक 77486, दिनांक 23.12.19 में संशोधन कर राजस्थान भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों का पुनर्वास अधिनियम, 2012 के अध्याय-7 की धारा 24 में प्रावधानानुसार आयुक्त/निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर, राजस्थान को एतद्वारा "आयुक्त, भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों का पुनर्वास (commissioner, Rehabilitation of Beggars or Indigents), नियुक्त किया जाता है।

  
(गायत्री सठौड) 8/9/2020  
शासन सचिव

क्रमांक:-एफ15( )परिवीक्षा/सा0सु0/सान्याअवि/19-20/ जयपुर, दिनांक 16.09.2020.  
प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित है:- 45987 - 46037

1. निजी सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, समस्त मंत्रिगण, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. निजी सचिव, आयुक्त/निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
6. निजी सचिव, समस्त जिला कलेक्टर्स।
7. संयुक्त निदेशक, आई.टी., मुख्यावास को लेख है कि विभागीय वेब-साईट पर अपलोड हेतु सूचनार्थ।
8. रक्षित पत्रावली।

—||—  
शासन सचिव